न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 141/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

भोजराज आयु 55 वर्ष पुत्र श्री बलराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम दीलोदहाथी, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– गोपाललाल पुत्र श्री कल्याण, जाति ब्राहमण, निवासी कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

2– बृजमोहन पुत्र श्री कल्याण, जाति ब्राहमण, निवासी कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

3– नन्दलाल पुत्र श्री कल्याण, जाति ब्राहमण, निवासी कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश यादव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.09.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 07/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की गई है जिसमें ग्राम सोडलहेड़ी, तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 684 व खसरा नम्बर 686 कुल दो किता की 1.67 हेक्टर पर अपीलांट को रेस्पोडेंट के विरूद्ध पाबन्द किया गया कि उपरोक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें । जबकि विवादित आराजी से लगी हुई

रेकार्डेड आराजी खसरा नम्बर 681 स्थित है जिसकी खातेदार भूली बाई पत्नी नन्दकिशोर, जाति अहीर, निवासी टांची है, जिसमें रेस्पोडेंट द्वारा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 30.06.2010 जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी उसके अनुसार खसरा नम्बर 684 का रकबा 0.12 हेक्टर खसरा नम्बर 681 में मिला हुआ है । भूलीबाई को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः उपरोक्त निर्णय व डिक्री काबिले खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय आर ए ए द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2012 की अपील नहीं की गई है । अपीलांट का उपरोक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है । अतः अपीलांट के विरूद्ध पारित निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज फरमायी जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि यदि अपीलांट का उपरोक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलांट को उपरोक्त निर्णय से क्या आपत्ति हो सकती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समान तथ्यों पर निर्णय दिनांक 15.05.2012 पारित किया गया है एवं अपीलांट की उपरोक्त विवादित आराजी जिसका वह खातेदार काश्तकार है, में दखल अन्दाजी न करने हेतु पाबन्द किया गया तथा समान तथ्यों पर ही निर्णय दिनांक 15.05.2012 की अपील पेश की गई, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2012 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.12 हेक्टर एवं उससे लगी हुई आराजी खसरा नम्बर 681 के रकबे से सम्बन्धित है तथा खसरा नम्बर 681 के रेकार्डेड खातेदार भूली बाई पत्नी

नन्दकिशोर, जाति अहीर है, उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो बनाया जाना चाहिए था । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात भी कायम नहीं की गई है और न ही कोई स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये हैं । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर पुनः उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नन्दलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कल्याण के बयान रेकार्ड पर लिये गये जो हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट है जिसमें जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि उनके द्वारा भूली बाई व नन्दकिशोर के खिलाफ दावा नहीं किया गया है जबकि यह बात सही है कि भूली बाई ने जगदीश महाजन से जमीन खरीदी थी जिस पर उनका कब्जा है तथा 0.12 हेक्टर आराजी जिस पर वे कब्जा लेना चाहते हैं वह सड़क के समीप उनके खेत में मिली हुई है तथा अन्य स्वतंत्र गवाह मनमोहन शर्मा पुत्र रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी अटरू, पुरूषोत्तम स्वरूप पुत्र जानकीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी दीलोदहाथी, तहसील अटरू, धनराज पुत्र छीरतलाल, जाति कुम्हार, निवासी कवाई सालपुरा, तहसील अटरू, सुरेन्द्र कुमार गौत्तम पुत्र बृजमोहन, जाति ब्राहमण, निवासी माली मौहल्ला कवाई, तहसील अटरू अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड किये गये । जिसमें सभी बयानों में अपीलांट का 0.12 हेक्टर भूमि पर कब्जा करने के तथ्य सामने आये हैं साथ ही यह भी तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया है कि खसरा नम्बर 684 के समीप ही खसरा नम्बर 681 है जिसके रिकार्डेड खातेदार है । भूली बाई पत्नी नन्दकिशोर एवं उनका कब्जा काश्त है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.06.2010 जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान का फैसला दिया गया है उसके अनुसार भी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.12 हेक्टर भूमि का खसरा नम्बर 681 में मिलना उल्लेखित किया गया है । जमाबंदी सम्वत 2065–2068 एवं अन्य दस्तावेजात एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 684 एवं खसरा नम्बर 686 कुल दो किता कुल रकबा 1.67 हेक्टर आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं । खसरा नम्बर 684 के रकबे का विवादित खसरा नम्बर 681 का उचित सीमांकन नहीं होना प्रतीत होता है । चूंकि खसरा नम्बर 684 का रकबा आराजी खसरा नम्बर 681 से लगवा है एवं विवाद का मूल कारण भी खसरा नम्बर 684 एवं खसरा नम्बर 681 के रकबे से सम्बन्धित है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2017 में हम आंशिक संशोधन करना हम उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान करवाने से पूर्व खसरा नम्बर 681 के रिकार्डेड खातेदार भूली बाई पत्नी नन्दकिशोर को नोटिस तामील करवा कर सुनवायी का अवसर प्रदान करें एवं त्तपश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2017 की पालना सुनिश्चित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा